



राप्रनिम/क्षे.का./बालोतरा/PH-85/1289-1292

दिनांक: 19.06.2026

श्री हेमंत चौधरी पुत्र श्री रामजस,
निवासी – किरडोलियो की ढाणी,
माता भर रोड, मकराना, जिला – नागौर

विषय:- ग्राम-लालसो की ढाणी, तहसील-शिव, जिला-बाड़मेर में प्रस्तावित मेसनरी स्टोन क्लस्टर खनन परियोजना (कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 17,85,565 टी.पी.ए.(रोम), कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 17.75 हैक्टेयर) द्वारा श्री हेमंत चौधरी पुत्र श्री रामजस, प्लोट नम्बर 199, खनन क्षेत्रफल 2.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,86,000 टी.पी.ए.(रोम), के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई बाबत।

प्रसंग:- 1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर का पत्रांक 2441-2444 दिनांक 04.06.2026
2. उपखण्ड अधिकारी, शिव का पत्र दिनांक 18.06.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी इकाई की पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई से सम्बंधित विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर (सभी संस्करण) तथा एक दैनिक क्षेत्रीय स्तर (हिन्दी संस्करण) में दिनांक 20.06.2026 तक प्रकाशित करावें तथा सभी अखबारों की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करावे ताकि लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 21.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे से राउप्रावि ईश्वरसिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत बलाई, तहसील-शिव, जिला-बाड़मेर में करवाया जा सके।

साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि विज्ञापन में वर्णित सभी कार्यालयों में ई.आई.ए. रिपोर्ट्स तथा कार्यकारी सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां जमा करवायें तथा प्रमाण के साथ इस कार्यालय को सूचित करें।


क्षेत्रीय अधिकारी

0/L

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को सादर सूचनार्थ।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

0/L



REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Jasol Phaanta, Opp. JdVVNL Office, Balotra, District Balotra
Website www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com



राप्रनिम/क्षे.का./बालोतरा/PH-85/1289-1292

दिनांक: 19.06.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हेमंत चौधरी पुत्र श्री रामजस, प्लॉट नम्बर 199, खनन क्षेत्रफल 2.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,86,000 टी.पी.ए.(रोम) द्वारा खसरा नंबर 40, ग्राम- लालसो की ढाणी, तहसील-शिव, जिला-बाड़मेर में प्रस्तावित मेसनरी स्टोन क्लस्टर खनन परियोजना (कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 17,85,565 टी.पी.ए.(रोम), कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 17.75 हैक्टेयर) के लिए खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि श्री हेमंत चौधरी पुत्र श्री रामजस को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन क्लस्टर परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर कार्यालय, बाड़मेर।
2. जिला परिषद कार्यालय, बाड़मेर।
3. जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर।
4. उपखण्ड कार्यालय, शिव।
5. तहसील कार्यालय, शिव।
6. राउप्रावि ईश्वरसिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत बलाई, तहसील-शिव, जिला-बाड़मेर।
7. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा।
8. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।
10. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गाँधी रोड़, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 21.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे से राउप्रावि ईश्वरसिंह की ढाणी, ग्राम पंचायत बलाई, तहसील-शिव, जिला-बाड़मेर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोतरा में दिये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी